

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जाए जबकि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम नहीं।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाए जिससे संपर्क हो।



ग्राम : गृहीतरी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 6772

दिनांक: 26/04/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जैन महाविद्यालय, शिष्ट (094251-30310) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित एम.ए. (सैन्य विज्ञान), बी.कॉम.(कम्प्यूटर एलीक्रेन अति. विषय), एम.एस.-सी. (सैन्य विज्ञान), एम.कॉम., बी.एस.-सी. (अति. वि. माइक्रोबायोलॉजी) एवं पी.जी.सी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिकारी महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)

0751-2442828

(2) प्रो. आर.ए. शर्मा, शा. विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर।

(3) प्रो. डी.एन. गोरखानी, आचार्य, कम्प्यूटर सार्वंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(4) डॉ. योगेश उपाचार्य, विभागाध्यक्ष, मैनेजर्मेंट अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुक्र, धरोहर उच्च, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिंजेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं घेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देखी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवादों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यात् अधीक्षक / कार्यालय सहायक पञ्चाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुविद्यति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतनुडा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समरूप पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बान से ही किया जावे ज
कि किसी अन्य प्राविकारी के बान नहीं।
सम्बन्धित विषय पट याइ पूर्व में पत्र
व्यवहार कुआ हो तो पत्र छापक एवं दिलाक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : गूलीवडेली
दूरध्वाप : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (विवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/4773

दिनांक 26/04/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के विण्याकुसार जैन महाविद्यालय, मिठ्ठ के सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित संचालित एम.ए. (सैन्य विद्वान), बी.कॉम.(कम्प्यूटर एप्लीकेशन अंति. विषय), एम.एस.-सी. (सैन्य विद्वान), एम.कॉम., बी.एस.-सी. (अंति. वि. माइक्रोबायोलॉजी) एवं पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्याई सम्बद्धता विभन्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक स्टाफ की शेष नियुक्तियाँ 28(17) में की जावे।
2. दस बर्षे कम्प्यूटर एवं दो प्रिंटर क्रय करें एवं साप्तवेवर लीगल कोर्स से सम्बद्धित क्रय किये जावे।
3. खेल का मैदान विकसित किया जावे।
4. लाइब्रेरी में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।

अपेक्षाकुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जैन महाविद्यालय, मिठ्ठ
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. श्रेष्ठीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, भोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)